सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या —14 / 2018 अपील (RCMS/2018/00015)
पंजीयन दिनांक —06.02.2018
निर्णय दिनांक —06.11.2018

1. श्री अरविन्द कुमार पिता गोपीलाल, निवासी चरलीया ब्राहम्णान पोस्ट कोटडीकला तहसील वाया एवं पुलिस थाना निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शान्ताबाई पुत्री हिम्मतराम श्रीमाली, निवासी चरलीया ब्राहम्णान पोस्ट कोटडीकला तहसील वाया एवं पुलिस थाना निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. ग्राम पंचायत बागरेडा (मामादेव) जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बागरेडा (मामादेव), तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री खेमराज डांगी — वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 1 / 2016 दिनांक 23.01.2018

निर्णय

दिनांक 06.11.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा—76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 1 / 2016 दिनांक 23.01.2018के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा समक्ष रेस्पोडेंट संख्या—1 द्वारा एक अपील इस आशय से पेश किया कि ग्राम चरलीया ब्राहमण की खातेदारी की आराजीयात कुल किता 9 कुल रकबा 17 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। बादाम बाई के देहान्त के बाद विरासत से उक्त आराजीयात का नामान्तरकरण संख्या 881 दिनांक 02.09.2009 को श्रीमती शान्ता बाई के नाम पर खोला गया जिसमें श्रीमती शान्ता बाई के पिता का नाम हिम्मतराम के स्थान पर बादाम बाई के पिता का नाम जडावचन्द अंकित कर दिया, जिससे असंतुष्ट

होकर रेस्पोडेंट–1 द्वारा अपील प्रस्तुत की और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत बांगरेडा ने उक्त नामान्तरकरण खोलने से पूर्व उसको सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया और मनमर्जी से नामान्तरकरण निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तकरण खोलने से पूर्व उसके पिता के नाम के बारे में जांच नहीं की और उसके पिता का नाम सहवन से जडावचन्द अंकित कर दिया जो बादाम बाई के पिता का नाम है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत नामान्तरकरण निरस्त करा शान्ता बाई पुत्री हिम्मतराम श्रीमाली का अंकन करने का अनुरोध किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 23.01.2018 से नामान्तरकरण संख्या 881 दिनांक 02.09.2009 खारिज कर तहसीलदार, निम्बाहेडा को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेश दिये कि शान्ता बाई के पिता का नाम सही जांच उपरान्त रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंटस् की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 30.10.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का निर्णय नामान्तकरण संख्या 881 दिनांक 02.09.2009 खारीज किये जाने का आदेश दिया, उक्त आदेश बिल्कुल सही है। परन्तु पत्रावली तहसीलदार, निम्बाहेडा को रिमाण्ड करने का आदेश गलत है। साथ ही शान्ता बाई के पिता नाम सही जांच उपरान्त रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश भी गलत है और उक्त रिमाण्ड व जांच के आदेश मुलतय विधि विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कृषि भूमि गांव चरलीया ब्राहम्णान जिसका विवरण निम्न है जो कि हिम्मतराम जी मृत्यु के बाद वसीयत दिनांक 09.06.1989 के आधार पर मृतक बादाम बाई के नाम दर्ज हुई। गत सेटलमेंट आराजी न. 511 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा जिसके हाल आराजी न. 724 रकबा 0.77 हेक्टेयर, 484 रकबा 1.56 हेक्टेयर, 725 रकबा 0.5 हेक्टेयर, 483 रकबा 1.14 हेक्टेयर, 727 रकबा 0.20 हेक्टेयर, 726 रकबा 0.13 हेक्टयेर, 732 रकबा 0.6 हेक्टेयर, 733 रकबा 0.46 है। इस प्रकार हिम्मतराम जी द्वारा दिनांक 09.06.1989 को जो वसीयत रेस्पोडेंट शान्ता बाई एवं बादाम बाई के नाम थी उसी वसीयत के आधार पर बादाम बाई को जो जायदाद वसीयती विरासत से मिली है और उक्त जायदाद के संबंध में बादामबाई की विरासत के लिए शान्ताबाई को विवाद करने का अधिकार नहीं है। शान्ता बाई ने कभी भी अपने आपको बादाम बाई की पुत्री व वारीस नहीं माना है। बादाम बाई का वारिस अपीलान्ट अरविन्द कुमार है। उक्त

जायदाद कृषि भूमि जो बादाम बाई के नाम थी, उस कृषि भूमि को कपटपूर्वक शान्ताबाई प्राप्त करना चाह रही थी। उक्त शान्ताबाई बादामबाई की पुत्री नहीं है। बादाम बाई जाति से महाजन थी। शान्ताबाई की जायन्दा माता कंकूबाई की मृत्यु के बाद हिम्मतराम जी के साथ बादाम बाई पत्नि बनकर 40 वर्षों तक रही थी और इसी कारण हिम्मतराम ने बादाम बाई को दासता पत्नि का दर्जा देकर जायदाद वसीयत की थी। इस प्रकार से बादामबाई के कब्जे काश्त भूमि में शान्ताबाई का काई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत के इन्तकाल न. 881 स्वीकृत दिनांक 02.09.2009 में शान्ताबाई ने जडावचन्द को पिता बताकर कपटपूर्वक रद्दोबदल करवा दिया था और षडयंत्र पूर्वक जडावचन्द की जगह पिता का नाम हिम्मतराम दर्ज करवाने के लिए उपखण्ड अधिकारी के यहा गलत अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायलयों में प्रस्तुत सजरा गलत है जिसमें शान्ताबाई को बादाम बाई की पुत्री बताया जो नहीं है, फिर भी इन्तकाल में रद्दोबदल का आदेश दिया। विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में एक वाद 73/03 ई.दी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बादाम बाई बनाम शान्ताबाई दिनांक 04.05. 2015 डिक्री पेश की जिसमें अरविन्द कुमार को बादाम बाई का वारीस न्यायालय ने निर्णित किया है और घोषणा खातेदारी व बटवाडें के दावें में निर्णय व डिक्री हो गई। वादिया शान्ताबाई ने हिम्मतराम की जायदाद के सम्बन्ध में बादाम बाई के खिलाफ सिविल न्यायालय में वाद पत्र किया जो दिनांक 25.11.2016 को खारिज हुआ और हिम्मतराम की जायदाद में शान्ताबाई को कोई हक साबित नहीं हुआ।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2017 को अपीलान्ट अरविन्द कुमार को पक्षकार प्रकरण बनाये जाने का आदेश दिया और विस्तृत बहस भी प्रकरण में हुई। संबंधित दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किय परन्तु वक्त निर्णय इन पर कोई गौर नहीं किया और पारित आदेश निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 881 दिनांक 02.09.2009 को निरस्त करने, निर्णय दिनांक 23.01.2018 में पारित रिमाण्ड आदेश एवं शान्ताबाई के पिता की जांच कर इन्द्राज करने का आदेश खारीज फरमाये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीमती शान्ताबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पिता के नाम सहीं अंकन करवाने का निवेदन किया था, अपने हक हकूक के निर्धारण का प्रश्न नहीं उठाया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारों द्वारा विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत परिक्षण किया गया और पाया कि श्रीमती शान्ता देवी द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या रजिस्टर एवं अन्य दस्तावेजों में उसके पिता का नाम श्री हिम्मतराम श्रीमाली अंकित है, जिससे प्रश्नगत नामान्तरकरण में अंकित शान्ता बाई पुत्री जडावचन्द स्पष्टतया गलत प्रतीत होता है।

जडावचन्द बदामबाई के पिता है। ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 881 दिनांक 02.09.2009 खारिज कर पत्रावली तहसीलदार, निम्बाहेडा को रिमाण्ड कर श्रीमती शान्ता बाई के पिता का नाम सही जांच उपरान्त रेकार्ड में दर्ज किये जाने के निर्देश दिये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा का निर्णय दिनांक 23.01.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर